न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 42/2012 (बांसवाड़ा डिकी)

1. श्री मोहन पिता विठला जोगी निवासी गांव सागडोव तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री महेश पिता भूरा जी जोगी नाबालिग की वलिया माता श्रीमती शांति बेवा भेरा जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. रामा पिता भूराजी जोगी नाबालिग की वलिया माता श्रीमती शांति बेवा भेरा जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री राकेश पिता भूरा जी जोगी नाबालिग की वलिया माता श्रीमती शांति बेवा भेरा जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. श्री शांति बेवा भूराजी जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री हीरा पिता वेलीया जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री धुलिया पिता वेलीया जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्री भूरा पिता रामा जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री गौतम पिता रामा जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. श्री सरकार जरिये तहसीलदार बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी बांसवाड़ा दिनांक 28–08–2012 प्रकरण
सांख्या 76/2011 राजस्व वाद

———/———

उपस्थित :—1— श्री शकील मोहम्मद अभिभाषक अपीलान्ट्स

2— श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 से 4

3— राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या—5

————————————

निर्णय **दिनांक 28—05—2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा—88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान गांव सागडोद में मूल पुरूष मंगलिया के वंशज है। मंगलिया के तीन पत्र कूका, वेलिया व रामा हुए, रामा के 2 पुत्र भूरा व गोता वादी संख्या 3 व 4 है, वेलिया के 3 पुत्र पूंजा, हीरा व धूलजी है। पूंजा फोत होकर हीरा व धूलजी वादी संख्या—1 व 2 है। कूका के पुत्र विठला के बाद, विठला के पुत्र मोहन प्रतिवादी संख्या—1 तथा विठला के अन्य पुत्र भूरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 5 है। मंगलिया के खाते के खेत नंबर व रकबा निम्नानुसार है :—'

आराजी नंबर	रकबा बीघा में
16	3.10
45	4.14
46	5.16
48	2.9
55	3.00

मंगलिया के मरने के बाद खाता हूका, वेलिया व रामा के नाम दर्ज हुआ। हूका ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि की आराजी नंबर 55 पूर्ण तथा 48 पूर्ण को दिनांक 26—9—1971 को किमतन पंजीयन दस्तावेज के गौतम पिता हवजी को बेच दिया। खेत नंबर 55 एवं 48 द्वारा विक्रय कर दिये जाने के बाद खाते में हुका का अधिकार समाप्त हो गया तथा पतिवादी नंबर 1 से 5 का अब कोई हक बकाया सर्वे नंबर 45, 46 में नहीं रहा। सर्वे नंबर 16 रकबा 3.10 बीघा में से रकबा 1.15 बीघा नहर में चली गई एवं सर्वे नंबर 16 की बकाया कृषि भूमि संयुक्त रूप से बेचान कर दी। राजस्व रेकार्ड में त्रुटिपूर्ण रूप से सर्वे नंबर 45 व 46 में हूका पिता मंगलिया के वारिस 1 से 5 का नाम गैर—कानूनी रूप से दर्ज है, जबकि उनका कोई हक इस भूमि में नहीं बचा है। निवेदन किया कि आराजी नंबर

45 व 46 से प्रतिवादी संख्या 1 स 5 का नाम हटाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाय।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध दिनांक 21–5–2012 को एक–तरफा कार्यवाही होकर वादी की साक्ष्य लेने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28–8–2012 से वादी रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–10–2012 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 4 की और से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में 23–8–2011 को तहसीलदार/सरकार की तलबी नहीं की गई, अधिनस्थ न्यायालय में 21–5–2012 को उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही कर दी गई, जबकि वे रिस्तेदारी में मौत में गये थे तथा बाद में य़ात्रा में चले गये। इसलिए उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण की जानकारी नहीं हो पाई तथा उनके अधिवक्ता भी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से उपस्थित नहीं हो पाये। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पकट आया कि प्रकरण में तहसीलदार/सरकार औपचारिक पक्षकार है तथा उसे तलब नहीं किये जाने का उजर उठाने के अपीलान्ट प्रतिवादी को अधिकार नहीं है। प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत किये जाने के लिए दिनांक

11–10–2011 से 28–4–2012 तक कूल–10 अवसर दिये गये, जिसमें से 19–3–2012 व 28–4–2012 को कोस्ट पर भी अवसर दिया गया। उक्त प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अतने अवसरों उपरान्त व समयोपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया जाना तथा दिनांक 28–4–2012 के अंतिम अवसर कोस्ट पर देने के बाद 21–5–2012 को स्वयं प्रतिवादी व अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण एक–तरफा की गई।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक–तरफा करने के बाद करीब 3 माह से भी ज्यादा समय बाद प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट वादी का वाद डिक्री किया है। अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा अपने तथा अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने बाबत तथा एक–तरफा निरस्त नहीं करवाने बाबत जो आधार लिए है, वे अत्यन्त लचर होकर पोषणीय नहीं है। अपील मेमों में कही पर भी गुणावगुण पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को चुनौति का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा साक्ष्य से सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी के पूर्वज हूका व विठला द्वारा उनके 1/3 हिस्से का विक्रय कर दिया है तथा आराजी नंबर 16 का 1 बीघा 15 बिस्वा रकबा नहर में गया है। प्रतिवादी अपीलान्ट के पूर्वजों द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के प्रमाणित होता है। अपीलान्ट प्रतिवादी के पूर्वजों द्वारा जब अपना 1/3 हिस्सा बेचा जा चुका है, तो अपीलान्ट प्रतिवादी का विरासत से शेष रही आराजी नंबर 45 व 46 में नाम दर्ज रहना निसन्देह त्रुटिपूर्ण है एवं इसी कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने सुविचारित व साक्ष्य आधारित निर्णय से वाद रेस्पोन्डेन्ट वादी डिक्री किया है। जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथव विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा आधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2012 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा0.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

1–श्री मोहन पिता विठला जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0) अन्य–4

बनाम

1– श्री हीरा पिता वेलिया जोगी निवासी गांव सागडोद तह0 व जिला बांसवाड़ा (राज0) अन्य–3 व सरकार

अपील नं0 **42/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत...................**उपखण्ड अधिकारी** ....**बांसवाड़ा............** मुकाम मुर्क्खे.............**28**................माह........**08**..........**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**28**..... माह ......**05**.......... सन् **2018** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री शकील मोहम्मद**............................ मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री जयेन्द्र पुरोहित** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा आधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2012 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**28**...... माह ...**05**........ **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।